1. **पेंशन संबंधी लाभ**

अनंतिम संसद अथवा संसद की किसी सभा का कोई पूर्व सदस्य प्रति माह 25000/- रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन तथा संसद सदस्य के रूप में पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 2000/- रुपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन का हकदार है। 2000/- रुपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन से 9 महीने से अधिक की अवधि को एक पूर्ण वर्ष के रूप में परिकलित किया जाएगा।

2. **पत्नी/पति को परिवार पेंशन**

किसी दिवंगत सदस्य/पूर्व संसद सदस्य की पत्नी/पति या आश्रित, जो न तो वर्तमान सदस्य है और न ही संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8क के अधीन पेंशन ले रही/रहा है, 15.09.2006 से पत्नी/पति अथवा आश्रित के शेष जीवन अवधि के लिए, जब तक कि वह आश्रित बनी रहती/बना रहता है, उस दिवंगत सदस्य/पूर्व संसद सदस्य को अन्यथा अनुमेय पेंशन के 50% के समतुल्य परिवार पेंशन का हकदार है।

3. **नि:शुल्क रेल यात्रा की सुविधा**

संसद का पूर्व सदस्य किसी साथी के साथ किसी भी रेलगाड़ी की वातानुकूलित II-टियर श्रेणी में अथवा यदि वह अकेले यात्रा कर रहे हों तो वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में सूचना कार्यालय, राज्य सभा सचिवालय द्वारा उनको जारी किए गए पूर्व संसद सदस्य पहचान-पत्र के प्राधिकार पर यात्रा करने का हकदार है।

4. **नि:शुल्क स्टीमर की सुविधा**

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप से पूर्व सदस्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप से भारत के मुख्य राज्य-क्षेत्र के बीच चलने वाले किसी भी स्टीमर में उच्चतम श्रेणी में राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकार-पत्र के आधार पर किसी प्रकार का भुगतान किए बिना यात्रा करने का हकदार होगा।

5. **चिकित्सा सुविधाएं**

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी॰जी॰एच॰एस॰) के दायरे में आने वाले शहरों में रहने वाले संसद के पूर्व सदस्यों को उसी दर पर अंशदान के भुगतान पर, जो वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे, सी॰जी॰एच॰एस॰ का लाभ मिलता है। पूर्व संसद सदस्य इस संबंध में टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय से सदस्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं और यह सुविधा सीधे महानिदेशक (सी॰जी॰एच॰एस॰), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं।

6. **पूर्व संसद सदस्य पति/पत्नी पहचान पत्र**

पूर्व संसद सदस्य सूचना कार्यालय, राज्य सभा सचिवालय में उपलब्ध विहित प्रपत्र को भरकर संसदीय सौध और संसद ग्रंथालय के लिए वैध पूर्व संसद सदस्य पति/पत्नी पहचान-पत्र प्राप्त कर सकता है।

7. **आवास**

सेवा निवृत्त होने के पश्चात् संसद सदस्य उसको सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने की अवधि तक सरकारी आवास रखने का हकदार होता है। तत्पश्चात्, यह आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और इसके बाद की अवधि के दौरान वहां रहने के लिए किराया/नुकसानी, यदि हो, तो आवंटन के रद्द होने की तारीख से बाज़ार दर पर प्रभारित किया जाएगा।

सदस्य को पर्याप्त समय रहते फ्लैट/बंगला खाली करने के उनके इरादे के बारे में अपने आवास के निकटतम स्थित सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰ सेवा केन्द्र को सूचित करना होता है ताकि सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰ के कर्मचारी परिसर को कब्जे में ले सकें और सामान सूची के अनुसार फर्नीचर तथा बिजली के उपकरणों का सत्यापन कर सकें।

8. **टेलीफोन सुविधा**

किसी संसद सदस्य को उपलब्ध कराए गए टेलीफोन एम॰टी॰एन॰एल॰ द्वारा सदस्य की सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन से काट दिये जाएंगे। तथापि, वह आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निजी उपभोक्ता के रूप में एम॰टी॰एन॰एल॰ से सीधे ब्राडबैण्ड सुविधा के साथ या उसके बिना टेलीफोन धारण कर सकते हैं।

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मुद्रित।

MGIPMRND—279RS(S3)—23-05-2018.

S-3\E\RAJYA SABHA 2018\279 RS(FOLDER)\279RS

संसद के पूर्व सदस्यों की विभिन्न सुविधाओं की पात्रता (राज्य सभा)

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अप्रैल, 2018